20.03.2025

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी—मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 (फाल्गुन 30,1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा – 19 के अंतर्गत चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण), कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2021—22 एवं 2022—23 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में भू—जल स्तर गिरावट पर शासन की ठोस कार्य योजना नहीं बनाये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, जिला—अस्पताल जांजगीर के प्रभारी सिविल सर्जन के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री प्रबोध मिंज, सदस्य, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र लुण्ड्रा एवं परसा में सहकारी बैंक की स्थापना किये जाने के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य, बिलाईगढ़ विधान सभा के ग्राम बेंगपाली में एक युवक की मृत्यु होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 2

(5) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, नगर पंचायत लालबहादुर नगर जिला राजनांदगांव में मैन्युअल निविदा में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत रतनपुर–मझवानी–केंवची सड़क की मरम्मत नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी, सदस्य, इन्द्रावती नदी के सूखने से हजारों किसानों को आर्थिक क्षति होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री इन्द्र साव, सदस्य, भाटापारा में नवनिर्मित बस स्टैण्ड से बसों का संचालन नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री इन्द्र साव, सदस्य, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, जिला धमतरी में रेत के अवैध उत्खनन से भू–जल स्तर नीचे होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(11) श्रीमती गोमती साय, सदस्य, भुरसीडांड़ एवं जोरण्डाझरिया जलाशय मध्यम परियोजना का प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(12) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(13) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, विभाग द्वारा भंडार क्रय नियम शर्तों का पालन नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, सक्ती जिला अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सक्ती में ओपन बोर्ड परीक्षा का अग्रेषण एवं संचालन से विद्यालय में नियमित छात्राओं के अध्यापन में परेशानियां होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, महासमुन्द जिले में कृषि विभाग में आदान सामग्री भण्डारण, वितरण एवं कृषक अंश राशि में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योगों में लगाये गये उपकरणों की जांच नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(18) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, रायपुर में आनंदम वर्ल्ड सिटी के निर्माण से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, कवर्धा जिले के वन परिक्षेत्र खारा के अंतर्गत रपटा निर्माण में अनियमितता एवं मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, सरगुजा एवं जशपुर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा टेंडरों में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(21) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, कोरबा जिले के अंतर्गत स्थित उद्योगों से जल संसाधन विभाग द्वारा जल कर की वसूली नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, प्रदेश के निजी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के मेडिकल टेस्ट के नाम पर मनमानी राशि की वसूली किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, सक्ती जिले के अंतर्गत सोननदी पर पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य अपूर्ण होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री भूपेश बघेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में स्थित गारे 4/6 कोल ब्लॉक में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण किये बगैर निजी कंपनी द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य, कांकेर जिला अंतर्गत परतापुर जलाशय एवं नहर मरम्मत कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(26) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा अंतर्गत ग्राम देवरी में हसदेव नदी तट पर स्थित पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, जिला कोरबा, ग्राम कोहडिया अंतर्गत शासकीय भूमि पर बालको कंपनी द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनी के द्वारा अधिक दर पर कोयले का परिवहन कराये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(29) श्री ओंकार साहू, सदस्य, धमतरी जिले में अवैध प्लॉटिंग एवं विकास पर कार्यवाही नहीं कर रेरा के नियमों का पालन नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री इन्द्र साव, सदस्य, बलौदाबाजार स्थित अडानी अंबुजा सीमेंट प्लांट द्वारा औद्योगिक नीति का उल्लंघन किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य, बलौदाबाजार–भाटापारा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत थारगांव में पांच लोगों की हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(32) श्री गजेन्द्र यादव, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ ग्रंथपालों को पदोन्नति नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, रायगढ़ जिला अंतर्गत एन.टी.पी.सी. लारा पुसौर में भूमि अधिग्रहण में आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(34) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, अनुविभागीय कार्यालय, जिला रायपुर में नकल प्रदान नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(35) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, प्रदेश के शासकीय विभागों में अस्थायी श्रमिकों हेतु भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) की सुविधा प्रदाय करने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(36) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, बलौदाबाजार जिले में स्थित सीमेंट संयंत्रों के प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण का पालन नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, रायगढ़ जिले में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्रभावित भू–स्वामियों को मुआवजा एवं नौकरी नहीं दिये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में मानव हाथी का द्वन्द होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) डॉ. संपत अग्रवाल, सदस्य, विकासखण्ड पिथौरा के ग्राम पिरदा में अंग्रेजी एवं देशी मदिरा दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र धरसीवां अंतर्गत ग्राम पिकरीडीह में संचालित मोजो मशरूम के अपशिष्ट पदार्थों से वातावरण प्रदूषित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(41) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(42) श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारिता बैंक मर्यादित, रायपुर में फर्जी ऋण के नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(43) श्री रामकुमार यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, लोक निर्माण विभाग संभाग–2 में गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य एवं फर्जी मस्टररोल बनाकर आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(44) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश में सी.जी.एम.एस.सी. के द्वारा गुणवत्ता विहीन दवाईयों की सप्लाई कराये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(45) श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, प्रदेश में गैर आदिवासी एवं भू–माफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन को लीज के नाम पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(46) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, प्रदेश में संचालित मूक–बधिर स्कूलों की दयनीय स्थिति होने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधान सभा अंतर्गत घुमरिया जलाशय की शाखा नहर जर्जर होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते, सदस्य, प्रतापपुर तहसील अंतर्गत कृषकों को वितरित वन पट्टा भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(49) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, रायपुर–विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु काटे गये वृक्षों की अवैध बिक्री किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(50) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधान सभा अंतर्गत सोलर हाई मास्क लाईट की निविदा में अनियमितता किये जाने की ओर योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(51) सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, जल संसाधन विभाग में पदोन्नति में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 6

(52) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रदेश में संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के कारण स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(53) श्री रामकुमार यादव, सदस्य विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत स्थित पॉवर प्लांटों एवं उद्योगों द्वारा भारी वाहनों के परिवहन से समस्या उत्पन्न होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(54) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, नगर पालिका सरायपाली में पेयजल की समस्या होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(55) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य, नगरपालिक निगम बीरगांव में प्रदूषण की समस्या होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(56) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जिला बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जगदलपुर एवं अंबिकापुर जिले में विद्युत यांत्रिकी का संभागीय कार्यालय नहीं होने से कृषकों की समस्याओं का निराकरण नहीं होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(58) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, जिला महासमुन्द में कृषि यंत्र खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(59) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, बिलासपुर जिले में स्थित कानन पेंडारी जू में वन्य प्राणियों की मृत्यु होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(60) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(61) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, प्रदेश में समाज कल्याण की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को समय पर आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(62) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित एस.सी.ए. और एस.आर.ई. योजनाओं में आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(63) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, जिला—कबीरधाम अंतर्गत पंचायत चिल्फी के सरपंच द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 7

(64) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में मानव तस्करी एवं लोगों का लापता होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(65) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(66) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, जिला–राजनांदगांव अंतर्गत नगर पंचायत घुमका में मैनुअल निविदा प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(67) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य, भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–मंगहूर के तेन्दूपत्ता संग्रहणकर्ता को राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(68) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, जिला–जांजगीर–चांपा के अंतर्गत ग्राम भडेसर में हत्या प्रकरण की विधिवत जांच नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(69) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के उत्पादन कंपनी कोरबा पूर्व में नई सीवरेज लाइन कार्य में आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(70) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिलासपुर नगर पालिक निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(71) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वनांचल क्षेत्रों में जल संकट एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की समस्या होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(72) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत फुंडहर एवं लाभांडी में पानी टंकी एवं पाईप लाईन बिछाने में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(73) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, प्रदेश में शुद्ध पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी का अभाव होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(74) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जिला–जांजगीर–चांपा के ग्राम पंचायत कोटमीसोनार के सरपंच एवं सचिव द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने पर कानूनी कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(75) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पत्थलगांव से सांई टांगरटोली तक सड़क निर्माण से होने वाली समस्याओं के संबंध में उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 8

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह), छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय

45 मिनट (3) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (4) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025(क्रमांक 1 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (6) श्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (7) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक,2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 9

निर्धारित समय

15 मिनट (8) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

45 मिनट (9) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह), प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

5. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट प्रदेश में साईबर ठगी व डिजिटल अरेस्ट के प्रकरणों से करोड़ों की ठगी किये जाने के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

6. अशासकीय संकल्प

30 मिनट (1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश के मोटर साईकिल चालकों को हेलमेट व कार चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाये।''

30 मिनट (2) श्री रिकेश सेन, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये।''

30 मिनट (3) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2025 बनायी जाये।''

30 मिनट (4) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''295 किलोमीटर लम्बी कटघोरा–रतनपुर–तखतपुर–मुंगेली–कवर्धा–खैरागढ़–डोंगरगढ़ रेल लाईन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाये।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 20 मार्च, 2025